न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी 715-III-15

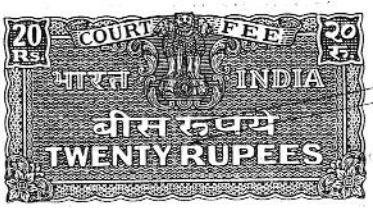

Rs 20/-

59
26-2-15

1. बद्री प्रसाद कुशवाहा तनय विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा उम्र 50 वर्ष
2. तुलसीदास कुशवाहा तनय विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा उम्र 48 वर्ष

निवासी बिछिया मोहल्ला धौवन टोला रानी तालाब तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ------**प्रार्थीगण**

बनाम्

1. विश्वंभर प्रसाद कुशवाहा तनय विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा उम्र 54 वर्ष निवासी बिछिया धौवन टोला रानी तालाब तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा कलेक्टर रीवा म0प्र0 -----**प्रतिप्रार्थीगण**

श्री प्रमोद मिश्रा, P.S.O. एड. के द्वारा आज दिनांक 26-2-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4784 ... द्वारा आज ... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.06.14 जो राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मंण्डल तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 217अ12/2013-14 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू.रा.सं.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-715/दौ/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश बद्रीप्रसाद/विश्वम्भर प्रसाद	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 –12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया, एवं प्रकरण के संलग्न उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। 2– सर्वे कमांक 963 जो मूलतः विश्वनाथ के नाम था, के तीन बटे नम्बर होकर उनके पुत्रगण विश्वम्भर (अना.क.1) को सर्वे कमांक 963/1 रकवा 0.268 है., बद्री (आवे. 1) को, सर्वे कमांक 963/2 रकवा 0.107 है., एवं तुलसीदास (आवे. 2) को सर्वे कमांक 963/3 रकवा 0.107 है., मिले। विश्वम्भर ने कब्जा अनुसार सीमांकन की अर्जी प्रस्तुत की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने आक्षेपित आदेश की पुष्टि की। 3– आवेदक अधिवक्ता ने पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2014 का संदर्भ लेते हुए तर्क किया कि उसमें यह लिखा है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके पर ही लाल स्याही से नक्शा तर्मीम किया तथा सीमांकन नक्शे की रेखाओं के आधार पर किया, जबकि सीमांकन से पहले बटा नम्बरों की नक्शा तरमीम पहले विधिवत होनी चाहिए थी, और उसके बाद सीमांकन स्थयी सीमाचिन्हों के आधार पर होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकगण को बिना सूचना दिए सीमांकन किया गया है, जो कि गलत है। 4– विद्वान अधिवक्ताओं क तर्कों एवं अभिलेखों के आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखतः टीप योग्य पाता हूँ। तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा को इनके प्रकाश में निम्न निर्देश देता हूँ:– 1. आक्षेपित आदेश में बटे नम्बर 363/1, 363/2, 363/3, लिखा है जबकि वह 963/1, 963/2, 963/3 होना चाहिए। यह प्रथमदृष्ट्या लापरवाही पूर्ण कार्यवाही का संकेत है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। 2. 963/2 एवं 963/3 आवेदकगण से संबंधित है, जबकि इन दोनों	

बटे नम्बरों की भी तरमीम एवं सीमांकन अनावेदक, जो 963/1 से संबंधित है, के अकेले के आवेदन पर कर दिया गया, जो कि पूरी तरह सही नहीं है।

3. चूंकि आवेदकगण बद्री एवं तुलसी के पंचनामे पर हस्ताक्षर हैं, अतः अधिवक्ता का तर्क नहीं माना जा सकता कि उनकी जानकारी के बगैर कार्यवाही हुई, किन्तु साथ–साथ यह भी नहीं कहा जा सकता, कि उन्हें पक्ष समर्थन का समुचित अवसर मिला।
4. प्रकरण में बटा नम्बरों की नक्शे पर तरमीम पहले होनी चाहिए, जिसे करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को पक्षसमर्थन का विधिवत अवसर मिलना चाहिए, एवं तरमीम के आधारों (जैसे कि कब्जा, बटवारा आदि) को स्पष्ट करते हुए तरमीम संबंधी आदेश पारित होना चाहिए।
5. तरमीम की कार्यवाही विधिवत पूर्ण होने के बाद स्थायी सीमा चिन्हों का आधार लेते हुए, एवं समस्त हितवद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को सूचना एवं पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए, आवेदन के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही होनी चाहिए।
6. तहसीलदार उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

इसी के साथ आक्षेपित आदेश दिनांक 15.06.2014 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेत निर्देशित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश की प्रति भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.रिकार्ड हो।

सदस्य